[2019] 3 एस.सी.आर. 953

हिमाचल प्रदेश राज्य

वि

प्रकाश चंद

(आपराधिक अपील संख्या 2393, 2010)

फरवरी 12, 2019

[रंजन गोगोई, सीजेआई, संजय किशन कौल और के. एम. जोसेफ, न्यायाधीशगण]

भारतीय दंड संहिता, 1860 एस.एस. 376 और 506 - बलात्कार - पीडब्लू.2- अभियोक्त्री ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने उसे गांवों के आम रास्ते पर पकड़ लिया और उसे झाड़ियों में खींच लिया, उसने शोर मचाया लेकिन घटना स्थल पर कोई नहीं था - अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया - जिसके परिणामस्वरूप, पीड़िता गर्भवती हो गई - कथित अपराध के 7 महीने बाद, एफआईआर दर्ज की गई - ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 376 और 506 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया। दोषसिद्धि की अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने अभियोक्त्री की गवाही और पीडब्लू.4 और पीडब्लू.5 के समक्ष किए गए न्यायेतर बयान के आधार पर कार्यवाही की - पीडब्लू.3और पीडब्लू.4 के अभियोक्त्री द्वारा उन्हें घटना का खुलासा करने के संबंध में पीडब्लू.3 और पीडब्लू.4 के अलग-अलग संस्करण थे। पीडब्लू.4 की साक्ष्य इस बात पर आधारित थी कि अभियोक्त्री ने उसके पास जाने आैर उसे घटना के बारे में बताया, जबकि पीडब्लू.3 ने कहा कि अभियोक्त्री द्वारा उसे कथित बलात्कार के बारे में बताने के बाद, पीडब्लू.3 ने कथित बलात्कार के तथ्य का खुलासा किया और,

अभियोक्त्री ने कहा कि घटना का खुलासा पीडब्लू3 द्वारा पीडब्लू.4 को किया गया था, इसने पीडब्लू4 के संस्करण को गलत साबित कर दिया, ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता द्वारा पीडब्लू4-पीडब्लू.5 को दिए गए कथित न्यायेतर संस्वीकृति से समर्थन प्राप्त करना सुरक्षित नहीं है। अपीलकर्ता के उसके पास आने और अभियोक्त्री के साथ समझौता करने का अनुरोध करने के संबंध में तथ्यों का विरोधाभासी संस्करण - जहां तक अभियोक्त्री का सवाल है, अगर उसने शोर मचाया था, तो यह बहुत कम संभावना थी कि आम रास्ते का उपयोग करने वाले मजदूरों ने इसे नहीं सुना था, इस प्रकार अभियोक्त्री की गवाही पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराना असुरक्षित है - अपीलकर्ता संदेह के लाभ का हकदार है।

साक्ष्य -विशेष अनुमति द्वारा एक अपील में साक्ष्य की आलोचनात्मक जांच - माना गया: इस न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन कार्यवाहियों में साक्ष्यों पर बारीकी से नजर डाली है कि शिकायत 7 माह के बाद दर्ज की गई है।-यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीयता और स्वीकार्यता के परीक्षण पर कम पाई जाती है और इसलिए विशेष अनुमति द्वारा अपील में भी इस पर कार्रवाई करना बेहद अविश्वसनीय है, ऐसी आलोचनात्मक परीक्षा अनुचित नहीं हो सकती है।

देरी/लाचेस - बलात्कार का अपराध - एफआईआर दर्ज करने में 7 महीने की देरी - अभिनिर्धारित: कथित बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज करने में 7 महीने की देरी की है - यदि अंतर्निहित ताकत के अलावा मामले की रिपोर्ट की जाती है तो इस तरह की तत्परता के कारण मामले की वास्तविकता से बहने वाले मामले में, प्रत्यक्ष लाभ चिकित्सा परीक्षण से हो सकता था, जिसके अधीन अभियोक्त्री को रखा जा सकता है और इस तरह की परीक्षा का परिणाम होगा ऐसा मामला जहां प्रतिरोध हो, यह अभियोजन का मामला है कि पीड़िता ने शोर मचाया और जाहिर तौर पर उसने विरोध किया होगा - संभवत: मेडिकल जांच में खुलासा हुआ होगा किसी प्रतिरोध या चोट के संकेत का।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए कहा कि -

1. कथित बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज करने में 7 महीने की देरी हुई है। यदि ऐसी तत्परता के कारण मामले की अंतर्निहित ताकत के अलावा वास्तविकता से संबंधित मामले की तुरंत रिपोर्ट की जाती है, तो प्रत्यक्ष लाभ चिकित्सा परीक्षण होगा, जिसके अधीन अभियोक्त्री को रखा जा सकता है और ऐसे मामले में ऐसी परीक्षा का परिणाम होगा। एक प्रतिरोध. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उसने शोर मचाया और इसलिए जाहिर तौर पर उसने विरोध किया होगा। संभवत:, चिकित्सीय जांच में किसी प्रतिरोध या चोट के लक्षण सामने आए होंगे। इस मामले में उच्च न्यायालय ने अभियोक्त्री की गवाही के आधार पर आगे कदम बढ़ाया है और पीडब्लू4 और पीडब्लू5 के समक्ष किए गए अतिरिक्त न्यायिक बयान से इसे मजबूत करने की मांग की है। [पैरा 1411964-बी-डी]

2. जहां तक पीडब्लू 4 का सवाल है, उसका साक्ष्य 05/07/2000 को अभियोक्त्री के उसके पास जाने और उसे घटना के बारे में बताने पर आधारित है, जबकि अभियोक्त्री की मौसी पीडब्लू3 स्पष्ट रूप से कहती है कि अभियोक्त्री ने उसे बताया था कथित बलात्कार के बारे में और जब पीडब्लू4 07/07/2000 को उसी गांव का दौरा करने आया जहां उसके ससुराल वाले भी रहते हैं, तो उसे कथित बलात्कार के तथ्य का खुलासा किया गया और उसे उक्त आधार पर पता चला। पीडब्लू4 ने जो कहा है, यह उससे बिल्कुल अलग संस्करण है। PW3 की मानें तो कथित घटना की जानकारी P.W.4 को केवल 07/07/2000 को मिली और वह भी PW3 से, इसके बजाय उसने मामला स्थापित किया कि 05/07/2000 को अभियोक्त्री उसके घर गई और उसे घटना के बारे में बताया। वास्तव में, अभियोक्त्री के पास भी उसके संस्करण में ऐसा कोई मामला नहीं है। बल्कि, अभियोजन पक्ष यह कहेगा कि घटना का खुलासा P.W.3 द्वारा P.W.4 को किया गया था। यह P.W.4 के संस्करण को पूरी तरह से गलत साबित करता है कि 5.7.2000 को अभियोक्त्री ने जाकर उसे घटना के बारे में बताया जिसमें चाकू का उपयोग करने की धमकी भी शामिल थी। पी.डब्ल्यू.4 जैसा कि आगे की जिरह में बताया गया है कि उसने पुलिस को इस आधार पर नहीं बताया कि उसने उसे इसके बारे में नहीं बताया था। यह फिर से P.W.4 के उस संस्करण को दिखाएगा कि अभियोक्त्री ने जाकर उसे घटना के बारे में बताया था, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं, पी.डब्लू. 4 यह बताना चाहता है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि अभियोक्त्री ने उसे क्या बताया,

यह सोचकर कि अभियोक्त्री ने पुलिस को इसके बारे में बताया होगा। यह सुरक्षित प्रतीत नहीं होता. ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता द्वारा कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति से समर्थन प्राप्त करना सुरक्षित नहीं हो सकता है। [पैरा 15][964-डी-एच; 965-ए।

3. जहाँ तक P.W.5 की बात है जिस पर फिर से अदालतों ने विश्वास किया है, यह देखा गया कि जिरह में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त ने उससे समझौता करने के लिए नहीं कहा। यह उनके कथन के विपरीत है कि 09/07/2000 को अपने घर वापस जाते समय उनकी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने समझौता करने की मांग की। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्लू 4 ने अपनी जिरह में कहा है कि पीडब्लू5 अपीलकर्ता के साथ 05/07/2000 को उनसे मिला था। इस पर निम्न न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायत 7 महीने के बाद दर्ज की गई है, इस न्यायालय ने इन कार्यवाहियों में साक्ष्यों पर बारीकी से नजर डालने की आवश्यकता को ध्यान में रखा है। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य विश्वसनीयता और स्वीकार्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं और इस तरह विशेष अनुमति द्वारा अपील में भी उस पर कार्रवाई करना बेहद अविश्वसनीय है, तो ऐसी आलोचनात्मक जांच अनुचित नहीं हो सकती है। [पैरा 16]1955-ई-एफ]

4. यदि यह न्यायालय पीडब्लू4 और पीडब्लू 5 के बयान पर भरोसा नहीं करता है तो मामला अभियोक्त्री पीडब्लू2 की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। आरोप है कि यह घटना एक रास्ते के पास हुई थी जिसे अभियोक्त्री और उसकी चाची पीडब्लू3 ने आम रास्ते के रूप में स्वीकार किया है। यदि वास्तव में अभियोक्त्री ने हंगामा खड़ा कर दिया है जैसा कि 2013 (9) एससीसी 113 में रिपोर्ट किए गए मामले में हुआ था, यह बहुत कम संभावना है कि जिन मजदूरों को आम रास्ते पर भटकना पड़ता है वे इसे नहीं सुन सकते थे। अपीलकर्ता का मामला है कि सबूतों से सहमति से यौन संबंध का मामला बनता है। यह सच है कि उच्च न्यायालय में यह अभिनिर्धारित हुआ है, कि सहमति से यौन संबंध बनाने का कोई मामला नहीं है, जैसा कि तर्क दिया गया है, लेकिन मामले का फैसला सबूतों के आधार पर किया जाना है। इस मामले की परिस्थितियों में अपीलकर्ता को धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अभियोक्त्री की गवाही के आधार

पर उसे दोषी ठहराना वास्तव में असुरक्षित होगा। वह निश्चित रूप से संदेह के लाभ का हकदार होगा। [पैरा 17॥965-जी, एच; 966-ए-बी]

विजयन बनाम केरल राज्य (2008) 14 एससीसी 763; कैनी राजन बनाम केरल राज्य (2013) 9 एससीसी 113: [2013] 10 एससीआर 196 पर भरोसा किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम श्री कांत शेखरी एआईआर 2004 एससी 4404 [2004] 4 सप्ल। एससीआर 380; तुलसीदास कनोलकर बनाम गोवा राज्य (2003) 8 एससीसी 590: [2003] 4 पूरक. एससीआर 978; गंगा कुमार श्रीवास्तव बनाम राज्य बिहार (2005) 6 एससीसी 211 संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

(2008) 14 एससीसी 763	भरोसा किया	पैरा 5
[2004] 4 पूरक। एससीआर 380	रेफर किया	पैरा 5
[2003] 4 पूरक। एससीआर 978	रेफर किया	पैरा 5
[2013] 10 एससीआर 196	भरोसा किया	पैरा 7
(2005) 6 एससीसी 211	रेफर किया	पैरा 16

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2010 की आपराधिक अपील संख्या 2393/२०१०

आपराधिक अपील संख्या 615/२००२ में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय जी, शिमला के निर्णय और आदेश दिनांक 11.05.2010 ।

राणा रणजीत सिंह, विवेक कुमार सिंह, रवीश सिंह, वकील। अपीलकर्ता के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

के. एम. जोसेफ, **न्यायाधीश** द्वारा

1. यह विशेष अनुमति द्वारा एक आपराधिक अपील है जिसमें 2002 की आपराधिक अपील संख्या 615 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.5.2010 को चुनौती दी गई है, जिसमें भारतीय दंड की धारा 376 और

506 के तहत अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि की गई है। संक्षेप में, अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि

दिसंबर, 1999 में, अपीलकर्ता ने P.W.2 के साथ बलात्कार किया। यह भी मामला है कि पी.डब्ल्यू.2 को अपीलकर्ता और एक अन्य सह-अभियुक्त द्वारा धमकाया गया था। अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 और 506 आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए थे और सह-अभियुक्त पर आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 506 के तहत आरोप लगाए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने मामले को अभियोजन पक्ष के पक्ष में पाया और अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए डिफ़ॉल्ट सजा के साथ 7 साल के साधारण कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आई.पी.सी. आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई थी। दोनों सजाएं एक साथ चलनी थीं। सह-अभियुक्त को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है जबकि अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील असफल रही थी।

2. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना। अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना था कि पीडब्लू2, अभियोक्त्री की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी। अपीलकर्ता के विद्वान वकील इस आधार पर अपीलकर्ता को दोषी से मुक्त करने की मांग करेंगे कि पीड़िता का मामला एफआईआर पर आधारित है जो बलात्कार के कथित घटना के 7 महीने बाद दर्ज की गई है। विजयन बनाम केरल राज्य 2008 (14)एससीसी 763 के मामले की तरह ही एफआईआर दर्ज करने में 7 महीने की देरी हुई। इस मामले में भी शिकायत दर्ज करने के समय पीड़िता गर्भवती थी। एफआईआर 17.7.2000 को दर्ज की गई थी। जबकि कथित तौर पर यह घटना दिसंबर, 1999 में हुई थी। उन्होंने बताया कि यह कथित तौर पर तब दर्ज किया गया है जब पीड़िता ने पीडब्ल्यू 1 को बताया था जो उसके साथ उपायुक्त कार्यालय, चंबा गई थी। यह बताया गया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार 17.7.2000 को जब वह दवा लेने के लिए चंबा आई थी, तो उसने कथित तौर पर पीडब्ल्य 1 को घटना का खुलासा किया और उसके बाद अपीलकर्ता को फंसाया गया। अपीलकर्ता का मामला यह है कि पी.डब्ल्यू. 1 उसी गांव का निवासी है और पी.डब्ल्यू.1 ने अभियोक्त्री से पहले भी मिलने की

बात कही है लेकिन कथित बलात्कार के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया।

3. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील यह बताएंगे कि अभियोक्त्री की गवाही के रूप में पर्याप्त सबूत थे। इसके अलावा विद्वान वकील ने हमारा ध्यान पीडब्लू4 के साक्ष्य की ओर भी आकर्षित किया, जिसके समक्ष अपीलकर्ता ने स्वयं एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की थी। अतः PW 5 के साक्ष्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया।

4. पीडब्लू5 ने यह भी बताया है कि अपीलकर्ता ने उससे हाथ जोड़कर समझौता करने का अनुरोध किया क्योंकि उसने पीडब्लू2, अभियोक्त्री के साथ गलत किया है और वह उसे और उसके बच्चे को अपने पास रखना चाहता था।

5. पहला प्रश्न जिस पर हमें विचार करना है वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में सी की लगभग 7 महीने की देरी का प्रभाव है। अपीलकर्ता मुख्य रूप से विजयन बनाम केरल राज्य 2008 (14)एससीसी 763 के मामले में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन चाहता है। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने राज्य में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले हिमाचल प्रदेश बनाम श्री कांत शेखरी एआईआर 2004 एससी 4404पर भरोसा किया है।। इसमें, इस न्यायालय ने मूल रूप से देरी के प्रभाव के बारे में सिद्धांतों पर भरोसा किया है जैसा कि 2003 में रिपोर्ट किए गए तुलसीदास कनोलकर बनाम गोवा राज्य (8) एससीसी 590 में इस न्यायालय के फैसले में देखा गया था। जिसमें मानसिक रूप से कमजोर लड़की से बलात्कार किया गया। देरी के तथ्य के बारे में अदालत को यही कहना था।

> ".....किसी भी घटना में, जब बलात्कार के आरोप शामिल होते हैं तो देरी स्वयं आरोपी के लिए कोई राहत देने वाली परिस्थिति नहीं होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को अभियोजन मामले को खारिज करने और इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने के अनुष्ठानिक फार्मूले के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह अदालत को केवल यह देखने और विचार करने के लिए तैयार करता है कि क्या देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण पेश किया गया है। एक बार जब स्पष्टीकरण पेश किया जाता है, तो न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि यह संतोषजनक है या नहीं। किसी मामले में यदि अभियोजन पक्ष देरी की संतोषजनक व्याख्या करने में विफल रहता है और ऐसी देरी के कारण अभियोजन संस्करण में अलंकरण या

अतिशयोक्ति की संभावना है, तो यह एक प्रासंगिक कारक है। दूसरी ओर, देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण झूठे निहितार्थ या अभियोजन मामले की कमजोरी की दलील को खारिज करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि तथ्यात्मक परिदृश्य से पता चलता है, पीड़िता अपने ऊपर आई विपत्ति से पूरी तरह अनजान थी। ऐसा होने पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी किसी भी तरह से अभियोजन संस्करण को कमज़ोर नहीं बनाती है।"

6. विजयन मामले (सुप्रा) में अभियोक्त्री, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी, आरोपी का पड़ोसी था। अपनी गवाही में अभियोजन पक्ष ने यह मामला स्थापित किया कि आरोपी ने उसके साथ तब बलात्कार किया जब घर में कोई नहीं था और घर में उसके साथ बलात्कार किया गया। आरोपी-अपीलकर्ता पर आरोप लगाया गया था कि उसे बताया गया था कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह उससे शादी करेगा। वादे के मुताबिक उसने अपने माता-पिता और पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी। वह गर्भवती हो गई और जब उसके पेट में 7 महीने का बच्चा था, तो उसने आरोपी से उससे शादी करने का अनुरोध किया। आरोपी ने मना कर दिया. इसके बाद 7 महीने बाद शिकायत दर्ज की गई। इन तथ्यों पर अदालत ने कहा कि पुलिस या माता-पिता से कोई शिकायत या शिकायत नहीं की गई थी। एफआईआर दर्ज करने में देरी का कारण यह बताया गया कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था और इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की गई। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

..... ऐसे मामलों में जहां अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही उपलब्ध है, आरोपी को दोषी ठहराना बहुत खतरनाक है, खासकर जब अभियोक्त्री को बलात्कार के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए सात महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। इससे आरोपी पूरी तरह से रक्षाहीन हो जाता है। अगर पीड़िता ने घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराई होती, तो पीड़िता के शरीर पर मेडिकल रिपोर्ट या किसी अन्य चोट जैसे कुछ सहायक सबूत होते, जिससे बलात्कार का संकेत मिलता। यदि अभियोक्त्री ने स्वेच्छा से खुद को संभोग के लिए समर्पित कर दिया है और एफआईआर दर्ज करने के लिए सात महीने तक इंतजार किया है तो ऐसी एकमात्र मौखिक गवाही पर दोषी ठहराना बहुत खतरनाक होगा। इसके अलावा, यह पता

लगाने के लिए कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया कि क्या बच्चा बलात्कार की उक्त घटना से पैदा हुआ था और क्या अपीलकर्ता-अभियुक्त उक्त बच्चे के लिए जिम्मेदार था। किसी अन्य सबूत के अभाव में, आरोपी को दोषी ठहराना असुरक्षित है।"

7. कैनी राजन बनाम केरल राज्य 2013 (9) एससीसी 113 में रिपोर्ट किए गए के मामले में, 17.9.1997 को सुबह लगभग 8.30 बजे यह आरोप लगाया गया था कि पीड़िता के साथ सार्वजनिक सड़क के किनारे एक जगह पर बलात्कार किया गया था। पीड़िता का मामला यह था कि उसने शोर मचाने की कोशिश की लेकिन आरोपी ने यह कहकर उसे चुप करा दिया कि वह उससे शादी करेगा। इस घटना के बाद भी उसने एक से अधिक बार संभोग किया। पीड़िता गर्भवती हो गई, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और आरोपी ने उससे शादी करने का अपना वादा नहीं निभाया। इसके बाद 26.7.1998 को कथित बलात्कार के लगभग 10 महीने बाद मामला दर्ज किया गया। इस न्यायालय ने विजयन के मामले (सुप्रा) को संदर्भित किया, उस स्थान पर ध्यान दिया सार्वजनिक सड़क का एक किनारा, रिपोर्ट दर्ज करने में देरी का पहलू और पीड़िता के माता-पिता का व्यवहार, पीड़िता से शादी करने के लिए आरोपी के परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं करना और इसके बजाय रिपोर्ट दर्ज करना। अदालत ने यह भी पाया कि साइट के संबंध में, यदि अभियोक्त्री ने कोई प्रतिरोध किया है या शोर मचाया है तो इससे इलाके से बड़ी संख्या में लोग आकर्षित होंगे। आरोपी की ओर से दायर अपील मंजूर कर ली गई।

8. उपरोक्त सिद्धांत की पृष्ठभूमि में ही हमें प्रश्न की जांच करनी चाहिए। पी.डब्लू. 2 अभियोक्त्री ने निस्संदेह कहा है कि उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई थी और वह बिना किसी भाई और बहन के रह गई थी। उनका पालन-पोषण उनके चाचा और चाची ने किया। उसने 9वीं क्लास तक पढ़ाई की. दिनांक 5.12.1999 को जब वह शाम लगभग 5-6 बजे वापस आ रही थी। अपीलकर्ता जो उसी गांव का निवासी है और जो गांव के रिश्ते में उसका भाई लगता है, ने उसे पकड़ लिया और उसे झाड़ियों में एकांत जगह की ओर खींचने लगा और बलात्कार किया। उसने शोर मचाया लेकिन घटनास्थल पर कोई नहीं था। अपीलकर्ता ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया कि अगर वह घटना के बारे में किसी को बताएगी तो उसे जान से मार देगा। उसने कहा कि वह बहुत डरी हुई और शर्मिंदा थी जिसके

कारण उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। अपनी नानी के पास रहने के बाद जब वह वापस आई तो उसे गर्भवती होने की जानकारी हुई। उसकी चाची ने उसके गर्भाशय के बड़े होने के बारे में पूछा और उसने उसे घटना के बारे में बताया। चाची ने उसे नानी के घर भेज दिया. घटना का खुलासा उसकी चाची ने पी.डब्ल्यू.4 को किया जो पीड़िता का मामा भी है। 'बारादरी' बुलाई गई. वह भी मौजूद थीं. हालांकि अपीलकर्ता को बुलाया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। 9.7.2000 को, पी.डब्ल्यू.4 और अपीलकर्ता सहित अन्य लोग वहां आए और अपीलकर्ता ने उससे कहा कि वह उसे और बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है और वह उसे और उसके बच्चे को अपनी पत्नी और बच्चे के रूप में दर्ज कराएगा। वह चाचा P.W.4 द्वारा समझाने पर अपीलकर्ता के साथ गई। वह वहां एक दिन और दो रात रुकी. इसके बाद आरोपी ने उसे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया और सह-आरोपियों ने यह भी धमकी दी कि वे उसे घर में नहीं रखेंगे और न ही बच्चे को अपनाएंगे। उसे बाहर कर दिया गया। उसने कहा कि उसने आरोपी से अनुरोध किया था कि वह उसे बाहर न निकाले क्योंकि वह गर्भवती थी। 17.7.2000 को जब वह दवा लेने के लिए चम्बा आई तो उसकी मुलाकात पी.डब्ल्यू.1 नामक व्यक्ति से हुई, जिसे उसने अपना भाई बताया और उसने उसे पूरी घटना बताई। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस में कराने को भी कहा. इसके बाद शिकायत दर्ज कराई। वह अपनी जिरह में कहती है कि यह सही है कि अपीलार्थी ने उसे चाकू दिखाया और उसे जान से मारने की धमकी दी। रास्ता गांव का आम रास्ता है और लोग उक्त रास्ते से होकर गुजरते थे। उसने कहा कि उस समय वहां कोई नहीं था। उसने कहा कि यह सही है कि मजदूर अपना मजदूरी का काम खत्म करने के बाद अपने घर चले जाते थे। वह चिल्लाने लगी तभी आरोपी ने चाकू दिखाकर उसे पकड़ लिया। उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से अपीलकर्ता के घर गयी थी। उसने स्वेच्छा से कहा कि आरोपी-अपीलकर्ता ने आश्वासन दिया था कि वह उसकी पत्नी है और उसके बच्चे को अपने गर्भ में पाल रही है। उसने खुलासा किया कि उसने अपनी दादी को बलात्कार के बारे में बताया था और उसके चाचा ने उसे बाहर कर दिया था। दादी (नानी) ने उसे आरोपी-अपीलकर्ता के घर जाने के लिए कहा। डर के मारे उसने यह बात किसी को नहीं बताई। वह बताती है कि P.W.1 उससे पहली बार चंबा में मिला था और घटना का खुलासा भी उसे पहली बार किया गया था। वह स्वीकार करती है कि वह आरोपी को बचपन से

जानती है लेकिन उसने उसके साथ खेलने या पढ़ाई करने से इनकार किया है। उसका कहना है कि जब वह अपीलकर्ता के घर गई तो रात में उसके साथ सोई। उसने कहा कि उसने याचिका लेखक को बताया था कि अपीलकर्ता उसे चाकू की नोक पर जबरन ले गया और उसी से उसे मारने की धमकी दी। उनका सामना उस याचिका से हुआ जिसमें यह दर्ज नहीं किया गया था। पुलिस को दी गई याचिका में भी उसने ऐसा कहा था लेकिन इसे दर्ज नहीं किया गया था।

9. हम P.W.1 के बयान पर भी गौर कर सकते हैं, जिसके अनुसार उसने पहली बार जुलाई, 2000 में खुलासा किया था और जिसके साथ उसने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि उसने उन्हें बताया था कि जब वह दवाइयां खरीदकर अपने घर वापस आ रही थी तब अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि पीड़िता के चाचा जीवित हैं और उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उन्होंने स्वीकार किया कि दुगली गांव, जहां अभियोक्त्री दिसंबर 1999 में सामान खरीदने गई थी, एक किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। वह कहेंगे कि उन्हें एक्ज़िबिट पी.ए. में ड्राफ्ट किया गया था। अभियोक्त्री ने उसे बताया था कि अपीलकर्ता ने उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर चाकू/खंजर से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को एक्ज़िबिट पी.ए. में ड्राफ्ट नहीं किया गया था।

10. पी.डब्लू.3 का विवाह न केवल अभियोक्त्री के चाचा से हुआ है, बल्कि वह उसकी अपनी माँ की बड़ी बहन भी है। उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा है कि जब पीडब्लू.2 अपनी नानी के घर पर 3 महीने तक रहने के बाद और उसके बाद 21/22 दिनों के बाद वापस आने के बाद, उसने देखा कि उसका गर्भाशय बड़ा हो रहा था और जब उससे इस बारे में पूछताछ की गई, तो उसने खुलासा किया कि दिसंबर 1999 में अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ रेप किया गया था। उसने यह भी कहा कि डर और शर्म के कारण यह बात किसी को नहीं बताई गई। फिर, पीडब्लू 2 को उसकी नानी के घर वापस भेज दिया गया, जो कोई और नहीं बल्कि पीडब्लू 3 की माँ थी। उस समय पीडब्लू 2 छह महीने की गर्भवती थी। पीडब्लू 3ने आगे बताए कि रतन चंद (जिसकी वास्तव में पीडब्लू 4 के रूप में जांच की गई थी) जो पीड़िता के मामा हैं और जिनके गांव में ससुराल वाले हैं,

उनके घर आए थे। उसका दावा है कि इसके बाद उसने उसे बलात्कार के बारे में बताया। इसके बाद पीड़िता को उसकी नानी के घर से वापस बुलाया गया। बारादरी बुलाई गई. अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद वह बताती है कि उसे पता चला कि अभियोक्त्री अपीलकर्ता के साथ गयी थी और उसके साथ रही थी और बाद में उसे बाहर कर दिया गया था। जिरह में उसने बताया कि जब बारादरी की बैठक बुलाई गई थी तब पीड़िता 6 महीने की गर्भवती थी। वह बैठक के नतीजे के बारे में जानकारी होने से इनकार करती हैं। वह मानती हैं कि 4 महीने की गर्भावस्था में पेट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आगे क्रॉस में उसने कहा कि अपीलकर्ता के बच्चे को ले जाने के बारे में खुलासा होने के बाद अभियोक्त्री 15 दिनों तक अपने घर पर रही और उसके बाद वह अपनी नानी के घर चली गई। वह स्वीकार करती है कि उसने और उसके पति (अभियोक्त्री के चाचा) ने प्रधान या पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। अभियोक्त्री को लगभग ढाई वर्ष की उम्र से उनके द्वारा पाला गया था। रास्ते के संबंध में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि भोगी और दुगली गांव के बीच में सिर्फ एक ही रास्ता है. वह बताती हैं कि दो-तीन अन्य रास्ते भी हैं। हालाँकि, वह मानती हैं कि यह रास्ता एक आम रास्ता है।

11. हालाँकि, पीडब्लू 4 रतन चंद का उसे इस मामले के बारे में कैसे पता चला एक अलग बयान है। उसने बताया कि अभियोक्त्री उससे संबंधित है। 5.7.2000 को वह गांव पंजाह स्थित उसके घर आई। एफ से उसके गर्भाशय के सामान्य से बड़े होने के बारे में पूछताछ करने पर उसने उसे दिसंबर, 1999 में अपीलकर्ता द्वारा किए गए जबरन यौन संबंध के बारे में बताया और उसे चाकू की मदद से धमकी दी गई थी कि वह इसके बारे में किसी को न बताए। वह आगे बताते हैं कि इसके दो दिन बाद, यानी 7.7.2000 को वह भोगा गांव में अपने ससुराल आए और यह तथ्य पंचायत सदस्य भोला राम को बताया गया जिन्होंने 'बारादरी' बैठक का सुझाव दिया। उक्त बारादरी बैठक में लोकी नंद, किशन चंद, बालो राम और अभियोक्त्री भी थी। चूंकि अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्य बैठक में शामिल नहीं हुए, इसलिए बैठक नहीं हो सकी। वह आगे बताते हैं कि बाद में इस मामले की शिकायत पुलिस को करने का निर्णय लिया गया। उसके दो दिन बाद, अर्थात्, 9.7.2000 को लगभग 9/10 बजे, अपीलकर्ता और, पीडब्लू 5 उसके ससुर के पास आए वे उनसे खास बातचीत करना चाहते थे. इसके बाद उनका कहना है कि अपीलकर्ता ने उनसे

हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि चूंकि वह पीड़िता का मामा था, इसलिए उसने जबरन यौन संबंध बनाकर उसके साथ गलत काम किया है, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई और उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण उसी का है। वह पीड़िता को अपने घर ले जाना चाहता था और उसे अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे के रूप में रखना चाहता था और यदि वे उसे अपनी पत्नी के रूप में भेजने के लिए तैयार हों तो उन्हें पंचायत रजिस्टर में दर्ज कराना चाहता था। सम्मोहक परिस्थितियों में और कोई अन्य रास्ता न होने पर अभियोक्त्री को उसकी पत्नी के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया। अभियोक्त्री उसकी पत्नी के रूप में जाने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन उसे समझाया गया और फिर वह आरोपी-अपीलकर्ता के घर गई। उसी रात उसे ले जाया गया. वह एक दिन और दो रात रुकी। फिर उसे बाहर कर दिया गया. जिरह में उसने कहा कि जब अभियोक्त्री ने उसे घटना के बारे में बताया तो उसने मामले की सूचना किसी भी प्राधिकारी को नहीं दी। 'बारादरी' मुलाकात के बाद पीड़िता अपनी नानी के साथ रहने लगी। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी-अपीलकर्ता 5.7.2000 को उनके घर आया था और उस समय साहिब सिंह (पीडब्लू 5), खेलकु देवी और अभियोक्त्री भी मौजूद थे। अपीलकर्ता के साथ पीडब्लू 5 भी था।

12. उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था. उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को यह नहीं बताया कि अभियोक्त्री ने उन्हें बताया था कि अपीलकर्ता उससे रास्ते में मिला था और उसने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए थे।

वह आगे इस प्रकार बताते हैं:

"यह सही है कि मैंने उपरोक्त तथ्य पुलिस को नहीं बताए हैं क्योंकि अभियोक्त्री ने मुझे इसका खुलासा नहीं किया था।

इसमें कोई संदेह नहीं है, इसके बाद यह पाया गया कि वह इस प्रकार कहता है:

"मैंने पुलिस को यह नहीं बताया है कि अभियोक्त्री ने मुझे बताया था कि अपीलकर्ता उसे चाकू की नोंक पर इस बहाने झाड़ियों में ले गया था कि अभियोक्त्री ने पहले ही पुलिस को उक्त तथ्य बता दिया था।"

13. अपने बयान में पी.डब्लू.5 ने कहा कि 9.7.2000 को लगभग 8.00 बजे। जब वह वापस आ रहा था, अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त उससे मिले। अपीलकर्ता ने उसे एक तरफ ले जाकर हाथ जोड़कर अनुरोध किया और कहा कि अभियोक्त्री के साथ

समझौता करा दिया जाए क्योंकि उसने उसके साथ गलत काम किया है और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा उसकी संतान है। हालाँकि, जिरह में वह इस प्रकार बताएगा:"गवाह रतन चंद ने मुझे बताया कि आरोपी व्यक्ति अभियोक्त्री के साथ समझौता करना चाहता है। आरोपी प्रकाश चंद ने उपरोक्त तथ्य के संबंध में मुझसे कोई बात नहीं की। इसी तरह, मेरे और आरोपी चक्कनु के साथ भी उक्त तथ्य पर कोई बात नहीं हुई। यह सही है रतन चंद ने मुझे अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अभियोक्त्री के साथ समझौते के बारे में बताया था।"

14. कथित बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज करने में 7 महीने की देरी हुई है। यदि अंतर्निहित ताकल के अलावा मामले की रिपोर्ट की जाती है तो इस तरह की तत्परता के कारण मामले की वास्तविकता से बहने वाले मामले में, प्रत्यक्ष लाभ चिकित्सा परीक्षण से हो सकता था, जिसके अधीन अभियोक्त्री को रखा जा सकता है और इस तरह की परीक्षा का परिणाम होगा ऐसा मामला जहां प्रतिरोध हो, यह अभियोजन का मामला है कि पीड़िता ने शोर मचाया और जाहिर तौर पर उसने विरोध किया होगा - संभवतः मेडिकल जांच में खुलासा हुआ होगा किसी प्रतिरोध या चोट के संकेत का। इस मामले में उच्च न्यायालय ने अभियोक्त्री की गवाही के आधार पर कार्यवाही की है और पीडब्लू 4 और पीडब्लू 5 के समक्ष किए गए अतिरिक्त न्यायिक बयान से इसे मजबूत करने की मांग की है।

15. जहां तक पीडब्लू 4 का सवाल है, उसका साक्ष्य 05/07/2000 को अभियोक्त्री के पास जाने और उसे यह बताने पर आधारित है कि दिसंबर 1999 में कथित तौर पर क्या हुआ था, जबकि पीडब्लू3, अभियोक्त्री की मौसी स्पष्ट रूप से कहती है कि उसके बाद अभियोक्त्री ने उसे कथित बलात्कार के बारे में बताया और जब पीडब्लू4 07/07/2000 को उसी गाँव का दौरा करने आया जहाँ उसके ससुराल वाले भी रहते हैं, तो उसे कथित बलात्कार के तथ्य का खुलासा किया गया और उसे पता चला। उक्त आधार. यह PW4 ने जो कहा है उससे बिल्कुल अलग संस्करण है। यदि पीडब्लू3 की मानें, तो कथित घटना के बारे में पी.डब्लू.4 को केवल 07/07/2000 को जानकारी प्राप्त हुई और वह भी पीडब्लू3 से, इसके बजाय उसने मामला स्थापित किया कि 05/07/2000 को अभियोक्त्री अपने घर गई और उसे घटना के बारे में बताया. वास्तव में, अभियोक्त्री के पास भी उसके संस्करण में ऐसा कोई मामला नहीं है। बल्कि, अभियोजन पक्ष का यह

कहना कि घटना का खुलासा P.W.3 द्वारा P.W.4 को किया गया था। यह P.W.4 के संस्करण को पूरी तरह से गलत साबित करता है कि 5.7.2000 को अभियोक्त्री ने जाकर उसे घटना के बारे में बताया जिसमें अपीलकर्ता द्वारा चाकू का उपयोग करने की धमकी भी शामिल थी। पी.डब्ल्यू.4, जैसा कि हमने आगे की जिरह में नोट किया है, यह बताया कि उसने पुलिस को इस आधार पर नहीं बताया कि उसने उसे इसके बारे में नहीं बताया था। यह फिर से P.W.4 के उस संस्करण को दिखाएगा कि अभियोक्त्री ने जाकर उसे घटना के बारे में बताया था, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं, पी.डब्लू. 4 यह बताने का प्रयास करता है कि उसने यह सोचकर पुलिस को यह नहीं बताया कि अभियोक्त्री ने उससे क्या कहा था क्योंकि अभियोक्त्री नेइसके बारे में पुलिस को बता दिया है. यह सुरक्षित प्रतीत नहीं होता. ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता द्वारा कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति से समर्थन प्राप्त करना सुरक्षित नहीं हो सकता है।

16. जहाँ तक P.W.5 की बात है जिस पर फिर से अदालतों ने विश्वास किया है, हम देखेंगे कि जिरह में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त ने उससे समझौता करने के लिए नहीं कहा। यह उनके कथन के विपरीत है कि 09/07/2000 को अपने घर वापस जाते समय उनकी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने समझौता करने की मांग की। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्लू 4 ने अपनी जिरह में कहा है कि पीडब्लू5 अपीलकर्ता के साथ 05/07/2000 को उनसे मिला था। इस पर निम्न न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया है। हमने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन कार्यवाहियों में साक्ष्यों पर बारीकी से नज़र डाली है कि शिकायत 7 महीने के बाद दर्ज की गई है। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य विश्वसनीयता और स्वीकार्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं और इस तरह विशेष अनुमति द्वारा अपील में भी उस पर कार्रवाई करना बेहद अविश्वसनीय है, तो ऐसी आलोचनात्मक जांच अनुचित नहीं हो सकती है। गंगा कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य 2005 (6) एससीसी 211 में इस न्यायालय का निर्णय देखें। इसके अलावा जब महत्वपूर्ण साक्ष्य की सराहना नहीं की जाती है, तो यह न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा, हमने देखा कि ट्रायल कोर्ट, वास्तव में, इस आधार पर आगे बढ़ी कि अभियोक्त्री नाबालिग नहीं था। उच्च न्यायालय ने सबूतों के आधार पर पाया कि अभियोक्त्री नाबालिग नहीं थी। इसके अलावा, हमने देखा कि उच्च न्यायालय ने

निम्नलिखित पाया है:

"16.....18-8-2000 को अभियोक्त्री को पुनः लाया गया और उनके द्वारा जांच की गई और लगभग 36 सप्ताह का गर्भ पाया गया। एमएलसी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभियोक्त्री आदतन थी संभोग का....."।

हालाँकि, हम एक्ज़िबिट PEमें पाते हैं जो 18/08/2000 की एमएलसी है, यह स्पष्ट रूप से प्रमुख राय के तहत कहा गया है:" कि पीड़िता/ रोगी संभोग की आदि है"

17. यदि हम PW4 और PW5 के बयान पर भरोसा नहीं करते हैं तो मामला अभियोक्त्री PW2 की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। आरोप है कि यह घटना एक रास्ते के पास हुई थी जिसे अभियोक्त्री और उसकी चाची पीडब्लू3 ने आम रास्ते के रूप में स्वीकार किया है। यदि वास्तव में अभियोक्त्री ने शोर मचाया है जैसा कि 2013 (9) एससीसी 113 में रिपोर्ट किए गए मामले में हुआ था, तो यह बहुत कम संभावना है कि आम रास्ते पर घूमने वाले मजदूर इसे नहीं सुन सके। वहीं अपीलकर्ता का मामला है कि सबूतों से सहमति से यौन संबंध का मामला बनता है। यह सच है कि उच्च न्यायालय में यह दर्ज है कि सहमति से यौन संबंध बनाने का कोई मामला नहीं है, जैसा कि तर्क दिया गया है, लेकिन हमें सबूतों के आधार पर मामले का फैसला करना होगा। हम इस मामले की परिस्थितियों में सोचेंगे कि अपीलकर्ता को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है अभियोक्त्री की गवाही के आधार पर धारा 376 के तहत अपराध में उसे दोषी ठहराना वास्तव में असुरक्षित होगा। वह निश्चित रूप से संदेह के लाभ का हकदार होगा जो उन परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ है जिनका हमने उल्लेख किया है।

18. जहाँ तक अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 376 के तहत आरोप का प्रश्न है आईपीसी का संबंध है, यह इस प्रकार है:

> "दिसम्बर 1999 के महीने में लगभग शाम 5/6 बजे ग्राम भोगा में दुगली से भोगा की ओर एक किलोमीटर दूर एक स्थान पर आपने कुमारी के साथ बलात्कार किया और इस तरह आईपीसी की धारा 376 के तहत और मेरे संज्ञान में दंडनीय अपराध किया है;

और मैं इसके द्वारा निर्देश देता हूं कि आप आरोपियों पर इस अदालत द्वारा उक्त आरोप पर मुकदमा चलाया जाए।" जहां तक धारा 506 सहपठित धारा 34 आईपीसी के तहत आरोप का सवाल है, यह इस प्रकार है:

"10.7.2000 को ग्राम भोगा में, आपने सामान्य इरादे से अपने सह-अभियुक्तों के साथ, कुमारी को उसकी जान लेने के लिए आपराधिक रूप से धमकाया और इस तरह धारा 506 सहपठित धारा 34 IPCके तहत दंडनीय अपराध किया और मेरे संज्ञान में है;

और मैं इसके द्वारा निर्देश देता हूं कि आप आरोपियों पर इस न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पर मुकदमा चलाया जाए।"

19. ट्रायल कोर्ट, वास्तव में, अपीलकर्ता द्वारा उसे धमकी देने के बारे में पीड़िता की गवाही पर भरोसा करने के लिए आगे बढ़ी है कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे आरोपी द्वारा मार दिया जाएगा। यह जाहिरा तौर पर दिसंबर, 1999 की घटना से संबंधित है। वास्तव में, अपीलकर्ता था विशेष रूप से 10/07/2000 को कथित तौर पर की गई आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता पर सह-अभियुक्तों के साथ सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता के साक्ष्य के आधार पर सह-अभियुक्त को दोषी ठहराने की कार्रवाई भी की है। हाईकोर्ट ने सह अभियुक्त को आपराधिक आरोप से बरी कर दिया है हमने नोट किया है कि दिसंबर, 1999 में हुई कथित घटना के संबंध में धारा 506 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कोई विशेष आरोप भी तय नहीं किया गया है और आरोप वास्तव में केवल 10/07/2000 को किए गए कथित कृत्यों से संबंधित है। इस तथ्य के अलावा कि दिसंबर, 1999 में जो कुछ हुआ, उसके संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता को उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 506 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जिन पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

20. ऐसी परिस्थिति में अपील स्वीकार की जाती है। हम निचली अदालतों द्वारा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द करते हैं। चूँकि अपीलकर्ता जमानत पर है, अपीलकर्ता के जमानत बांड उन्मोचित किये जाते हैं।

अंकित ज्ञान अपील की अनुमति.

विशाल शर्मा